

पत्रावली पर पटवारी हल्का/आई०एल०आर० नो. १०१
 में जांच की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी प्रणमन्देनी पुत्र जीतराम देवी का
 पूला पुत्र जीता दर्ज है। जबकि इनके प्रामा (कांडे, बाराक कांडे व शरथेन अक
 के आठपक) अर्थात् (कुल) शुद्ध नाम प्रणमन्देनी पुत्र जीतराम देवी का
 किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 दिनांक 6/12/2021

राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने जाने की अनिश्चया की जाती है /

उक्त नाम माना उचित है।
 6/12/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्दुर् (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
 उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निर्माकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी- सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	2075-78	(2075-78) 87.88, 89	87.88 89	पूला पुत्र जीता	प्रणमन्देनी पुत्र जीतराम देवी

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 6/12/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1992

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी